उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (लेखा परीक्षा) अनुभाग-2

संख्या-05/2017/आडिट-2-1332/दस-2017-350(7)/2013

लखनऊ : दिनांक 09 अगस्त, 2017

अधिसूचना संख्या-05/2017/आडिट-2-1332/दस-2017-350(7)/2013 दिनांक 09 अगस्त, 2017 द्वारा उ0प्र0 स्थानीय निधि लेखा परीक्षा अधिनस्थ सेवा नियमावली, 2017 प्रख्यापित की जा चुकी है। उक्त नियमावली की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।

2- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग उ0प्र0 इलाहाबाद को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि कार्मिक अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-7/2017-13(6)/2017/का-1-2017, दिनांक 03 अगस्त, 2017 के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करायें।

3- संयुक्त निदेशक, राजकीय प्रेस ऐशबाग लखनऊ को उक्त सेवा नियमावली की एक-एक प्रति (हिन्दी व अंग्रेजी) इस आशय से प्रेषित कि उक्त नियमावली को सरकारी गजट उ0प्र0 के असाधारण विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड (क) में दिनांक   अगस्त, 2017 के अंक में छापने तथा नियमावली की एक हजार प्रतियां वित्त (लेखा परीक्षा) अनुभाग-2 उ0प्र0 शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

4- समस्त मण्डलीय अधिकारी द्वारा निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग इलाहाबाद।

5- कार्मिक अनुभाग-1/कार्मिक नियमावली सेल उ0प्र0 शासन/वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2

6- वित्त विभाग के समस्त अनुभाग।

उमा द्विवेदी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (लेखा परीक्षा) अनुभाग-2
संख्या-05/2017-आडिट-1332/दस-2017-350(7)/2013
लखनऊ : दिनांक 09 अगस्त, 2017

अधिसूचना
प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि लेखा परीक्षा अधीनस्थ सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तो को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :--

उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि लेखा परीक्षा अधीनस्थ सेवा नियमावली ,2017

भाग - एक - सामान्य	
संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	**1-(1)** यह नियमावली उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि लेखा परीक्षा अधीनस्थ सेवा नियमावली, 2017 कही जायेगी। **(2)** यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।
सेवा की प्रास्थिति	**2.** उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि लेखा परीक्षा अधीनस्थ सेवा एक ऐसी सेवा है जिसमें समूह 'ख' और समूह 'ग' के पद समाविष्ट हैं।
परिभाषायें	**3.** जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में :- **(क)** 'अधिनियम' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 से है; **(ख)** 'नियुक्ति प्राधिकारी' का तात्पर्य निदेशक से है; **(ग)** 'सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी' का तात्पर्य निदेशक के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग से है; **(घ)** 'लेखा परीक्षक' का तात्पर्य निदेशक के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन लेखा परीक्षक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग से है; **(ड.)** 'भारत का नागरिक' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	संविधान के भाग-दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाय, **(च)** "आयोग" का तात्पर्य 'उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग' से है; **(छ)** "संविधान का तात्पर्य" भारत का संविधान से है; **(ज)** "निदेशक" का तात्पर्य निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश से है; **(झ)** "सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है; **(ञ)** "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है; **(ट)** "सेवा का सदस्य" का तात्पर्य सेवा के सवंर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रुप से नियुक्त व्यक्ति से है; **(ठ)** "नागरिको के अन्य पिछ्डे वर्गों" का तात्पर्य समय-समय पर यथासंशोधित अधिनियम की अनुसूची- एक में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछ्डे वर्गों से है; **(ड)** "वरिष्ठ लेखा परीक्षक" का तात्पर्य निदेशक के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन वरिष्ठ लेखा परीक्षक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग से है; **(ढ)** "सेवा" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि लेखा परीक्षा अधरीनस्थ सेवा से है; **(ण)** "मौलिक नियुक्ति" का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से हैं जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक आदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गयी हो; **(त)** "भर्ती का वर्ष" का तात्पर्य किसी कैलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।

http://shasanadesh.up.nic.in

भाग - दो - संवर्ग

सेवा का संवर्ग

4.(1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाय।

(2) जब तक कि उप-नियम(1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायें, सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी नीचे दी गयी है :--

क्र0 सं0	पद का नाम	पदों की संख्या		
		स्थायी	अस्थायी	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी	67	--	67
2	वरिष्ठ लेखा परीक्षक	489	--	489
3	लेखा परीक्षक	163	--	163

परन्तु यह कि :--

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुये छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा; या

(दो) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं, जिन्हें वह उचित समझें।

भाग - तीन - भर्ती

भर्ती का स्रोत

5. सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतो से की जायेगी:-

(1) लेखा परीक्षक --

(एक) नब्बे प्रतिशत आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।

(दो) दस प्रतिशत निदेशक के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्यालयों के लिपिकीय संवर्ग के मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे व्यक्तियों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को पॉच वर्ष की मौलिक

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	सेवा पूर्णकर ली हो, और जिनका मैट्रिक्स लेवल-5 (रू0 29200-92300) के नीचे न हो, चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा। **(2) वरिष्ठ लेखा परीक्षक -** मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे लेखा परीक्षकों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा। **(3) सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी-** मौलिक रूप से नियुक्त वरिष्ठ लेखा परीक्षकों में से चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।
आरक्षण	**6.** अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण समय-समय पर यथा संशोधित अधिनियम, और उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रुप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1993 के उपबन्धों और भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।
भाग - चार - अर्हताएं	
राष्ट्रीयता	**7.** सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी :-- **(क)** भारत का नागरिक हो; या **(ख)** तिब्बती शरणार्थी हो जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो; या **(ग)** भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश-केनिया, युगांडा और यूनाईटेड रिपब्लिक आफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीवार) से प्रव्रजन किया हो : परन्तु यह कि उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो:

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	परन्तु यह और कि उपर्युक्त श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उपमहानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लेः परन्तु यह और भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण-पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये जारी नहीं किया जायेगा, और ऐसे अभ्यर्थी का एक वर्ष की अवधि से परे सेवा में बने रहना उसके भारतीय नागरिकता अर्जित करने के अध्यधीन होगा। **टिप्पणी -** ऐसा अभ्यर्थी जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, किन्तु वह न तो जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति दी जा सकती है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रुप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण-पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाये।
शैक्षिक अर्हता	**8.** लेखा परीक्षक के पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक की उपाधि या लेखाकर्म स्नातकोत्तर डिप्लोमा और कम्प्यूटर में 'ओ' स्तरीय डिप्लोमा धारित करता हो।
अधिमानी अर्हता	**9.** अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जिसने :- **(1)** प्रादेशिक सेना में न्यूनतम् दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या **(2)** राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।
आयु	**10.** सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेण्डर वर्ष की, जिसमें रिक्तियां सीधी भर्ती के लिए विज्ञापित की जायं, पहली जुलाई को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक की आयु प्राप्त न की होः परन्तु यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, अभ्यर्थियों की दशा में, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाय, उच्चतर आयु

http://shasanadesh.up.nic.in

	सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।
चरित्र	**11.** सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी इस बिन्दु पर अपना समाधान कर लेगा। **टिप्पणी :--** संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।
वैवाहिक प्रास्थिति	**12.** सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नियां हो या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक जीवित पत्नी हो: परन्तु यह कि सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है, यदि उसका यह समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हैं।
शारीरिक स्वस्थता	**13.** किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो, जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अन्तिम रुप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह वित्तीय हस्त-पुस्तिका, खण्ड-दो, भाग-तीन के अध्याय-तीन में दिये गये मूल नियम-10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें: परन्तु यह कि पदोन्नति द्वारा भर्ती किये गये अभ्यर्थी से स्वस्थता प्रमाण-पत्र की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

http://shasanadesh.up.nic.in

भाग - पांच - भर्ती की प्रक्रिया	
रिक्तियों का अवधारण	**14.** नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती के वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या के साथ-साथ नियम-6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा। आयोग के माध्यम से भरी जाने वाली रिक्तियों को उन्हें सूचित किया जायेगा।
सीधी भर्ती की प्रक्रिया	**15.** सेवा में लेखा परीक्षक के पद पर सीधी भर्ती समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश समूह 'ग' के पदों के लिए सीधी भर्ती (रीति और प्रक्रिया) नियमावली, 2015 के अनुसार की जायेगी।
पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया	**16.(1)** सेवा में लेखा परीक्षक, वरिष्ठ लेखा परीक्षक और सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी के पदों पर पदोन्नति द्वारा भर्ती समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिए मानदण्ड) नियमावली, 1994 में दिये गये मानदण्डों के आधार पर की जायेगी। उत्तर प्रदेश विभागीय पदोन्नति समिति का गठन (सेवा आयोग के क्षेत्र से बाहर के पदों के लिए) नियमावली, 1992 में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, चयन समिति निम्नवत् गठित की जायेगी :-- **(एक)** निदेशक - अध्यक्ष **(दो)** संयुक्त निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, मुख्यालय, उत्तर प्रदेश - सदस्य **(तीन)** निदेशक द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाने वाला उप निदेशक से अनिम्न स्तर का कोई अधिकारी - सदस्य **टिप्पणी-** चयन समिति में अनुसूचित जातियों, अनूसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछडे वर्गो के अधिकारियों को प्रतिनिधित्व देने के लिए नाम-निर्देशन समय-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	समय पर यथासंशोधित अधिनियम की धारा-7 के अधीन किये गये आदेश के अनुसार किया जायेगा। **(2)** नियुक्ति प्राधिकारी समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर) चयनोन्नति पात्रता सूची नियमावली, 1986 के अनुसार अभ्यर्थियों की पात्रता सूची तैयार करेगा और उसे उनकी चरित्र पंजियों और उनसे सम्बन्धित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ, जो उचित समझे जायं, चयन समिति के समक्ष रखेगा, परन्तु यह कि जहॉ दो या अधिक पोषक संवर्ग हों -- **(क)** भिन्न वेतनमान धारकों की स्थिति में, उच्चतर वेतनमान धारक संवर्ग के अभ्यर्थी पात्रता सूची में उच्चतर रखा जायेगा, **(ख)** समान वेतनमान धारकों की स्थिति में, अभ्यर्थियों के नामों को उनके अपने संवर्ग में उनकी मौलिक नियुक्ति की तिथि के क्रम में पात्रता सूची में व्यवस्थित किया जायेगा, किन्तु यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों की मौलिक नियुक्ति की तिथि समान हो तो ऐसी स्थिति में आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को पात्रता सूची में उच्चतर रखा जायेगा। **(3)** चयन समिति उप-नियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी और यदि वह आवश्यक समझे, तो अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है। **(4)** चयन समिति चयनित किये गये अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता क्रम में, जैसी उस संवर्ग में हो जिससे उनकी पदोन्नति की जानी है, एक सूची तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।
संयुक्त चयन सूची	**17.** यदि भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियॉ सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जॉय तो एक संयुक्त चयन सूची तैयार की जायेगी जिसमें अभ्यर्थियों के नाम सुसंगत सूचियों से इस प्रकार लिये जायेंगे कि विहित प्रतिशत बना रहे, सूची में पहला नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति का होगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

भाग -छः- नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता	
नियुक्ति	**18-(1)** सेवा में किसी पद पर किसी व्यक्ति को सीधे नियुक्त किये जाने के पूर्व उसे राज्यपाल के पक्ष में इस आशय का एक अनुबन्ध पत्र निष्पादित करना होगा कि दो वर्ष छह माह की सेवा पूरी करने के पूर्व, राज्य सरकार या केन्द्र सरकार के अधीन किसी अन्य पद पर कार्यभार ग्रहण करने के लिए नौकरी छोडने से भिन्न स्थिति में, नौकरी छोडने की दशा में उसे छह मास के वेतन के बराबर धनराशि से अनधिक धनराशि जो उसे भुगतान की गयी या उस पर व्यय की गयी हो वापस करनी पडेगी। **(2)** उप-नियम (3) के उपबन्धों के अध्यधीन नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उसी क्रम में लेकर जिसमें वे यथास्थिति नियम 15, 16 या 17 के अधीन तैयार की गयी सूची में आये हों, नियुक्तियाँ करेगा। **(3)** जहाँ भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियाँ सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों द्वारा की जानी हों तो नियमित नियुक्तियाँ तब तक नहीं की जायेंगी जब तक कि दोनों स्रोतों से चयन न कर लिया जाय और नियम 17 के अनुसार एक संयुक्त चयन सूची तैयार न कर ली जाय। **(4)** यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जायें तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख उसी ज्येष्ठता क्रम में किया जायेगा जैसा यथास्थिति चयन में अवधारित की जाये अथवा जैसे कि उस संवर्ग में हों जिससे उन्हें पदोन्नत किया जाय। यदि नियुक्तियाँ सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों द्वारा की जायें तो नामों को नियम 17 में निर्दिष्ट आदेश के अनुसार रखा जायेगा।
परिवीक्षा	**19-(1)** सेवा में किसी पद पर मौलिक नियुक्ति पर किसी व्यक्ति को समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक परिवीक्षा नियमावली, 2013 के अनुसार परिवीक्षा पर रखा जाएगा। **(2)** यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा-अवधि के

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या सन्तोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसे उसके मौलिक पद पर प्रत्यावर्तित किया जा सकता है, यदि कोई हो, और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं। **(3)** ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति जिसे उप-नियम (2) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवायें समाप्त की जायं, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा। **(4)** नियुक्ति प्राधिकारी सेवा के संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप से की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।
विभागीय परीक्षा और परीक्षण	**20.** सीधे भर्ती किये गये व्यक्तियों से ऐसी विभागीय परीक्षा को उतीर्ण करने और ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करने की अपेक्षा की जायेगी जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर विहित किया जाय।
स्थायीकरण	**21.(1)** उप-नियम (2) के उपबन्धों के अध्यधीन किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढायी गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा, यदि- **(क)** वह विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर लिया हो, यदि कोई, **(ख)** वह विहित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया हो, यदि कोई, **(ग)** उसका कार्य एवं आचारण संतोषजनक बताया जाय, **(घ)** **उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय,** **(ड)** **नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि वह स्थायी किये जाने के लिए अन्यथा उपयुक्त है।** **(2)** जहॉ उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 1991 के उपबन्धों के अनुसार

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	स्थायीकरण आवश्यक नहीं है वहॉ उस नियमावली के नियम 5 के उप-नियम (3) के अधीन यह घोषणा करते हुए आदेश करें कि सम्बन्धित व्यक्ति ने परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, स्थायीकरण का आदेश समझा जायेगा।
ज्येष्ठता	**22.** सेवा में किसी श्रेणी के पदों पर मौलिक रुप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता, समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार अवधारित की जायेगी।
भाग - सात - वेतन आदि	
वेतनमान	**23. (1)** सेवा में विभिन्न श्रेणी के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय। **(2)** इस नियमावली के प्रारम्भ होने के समय के वेतनमान नीचे दिये गये हैं :

पद का नाम	**वेतनमान**
1 सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी	मैट्रिक्स लेवल-8 (रू0 47600-151100)
2 वरिष्ठ लेखा परीक्षक	मैट्रिक्स लेवल-6 (रू0 35400-112400)
3 लेखा परीक्षक	मैट्रिक्स लेवल-5 (रू0 29200-92300)

परिवीक्षा अवधि में वेतन	**24. (1)** फण्डामेन्टल रुल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतन-वृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, जहॉ विहित को, विभागीय परीक्षा, उत्तीर्ण कर ली हो और प्रशिक्षण कर लिया हो और द्वितीय वेतन वृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् तभी दी जायेगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो। परन्तु यह कि यदि सन्तोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतन-वृद्धि के लिये नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दे।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	(2) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा था, परिवीक्षा-अवधि में वेतन सुसंगत फण्डामेन्टल रुल्स द्वारा विनियमित होगा: परन्तु यह कि यदि सन्तोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा-अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतन-वृद्धि के लिये नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दे। **(3)** ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा-अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।
भाग - आठ - अन्य उपबन्ध	
पक्ष समर्थन	**25.** किसी पद पर या सेवा में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न किन्हीं सिफारिशों पर, चाहे लिखित हो या मौखिक, विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगा।
अन्य विषयों का विनियमन	**26.** ऐसे विषयों के सम्बन्ध में, जो विनिर्दिष्ट रुप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे।
सेवा की शर्तो से शिथिलता	**27.** जहॉ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाये कि सेवा में नियुक्त व्यक्ति की सेवा की शर्तो को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में असम्यक् कठिनाई होती है, वहां वह उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुये भी, आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तो के अधीन रहते हुये, जिन्हें वह मामले में न्याय संगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिये आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

व्यावृत्ति	**28.** इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पडेगा, जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य विर्शेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिये उपलब्ध किया जाना अपेक्षित हो।

आज्ञा से,

अनूप चन्द्र पाण्डेय
अपर मुख्य सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।